

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,.....
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दिकरपा मंडल व मू.अ.नि. ठगर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुग्रांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दिकरपा मंडल तहसील 206 व जिला राजसमन्त की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 203, 202, 173 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जानी है)
01.	<u>दिकरपा मंडल</u>	<u>203, 202</u>	<u>मोती सिंह पुत्र</u>	<u>मोती सिंह पुत्र</u>
	<u>ठगर</u>	<u>1, 173</u>	<u>गोविन्द सिंह</u>	<u>गोविन्द सिंह</u>

(fn)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
जिला-राजसमन्त

क्रमांक :- 2026/32

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार श्री को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजेवायें।
2. प्रार्थी श्री मोती सिंह पुत्र गोविन्द सिंह को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(fn)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
जिला-राजसमन्त

रिपोर्ट पटवारी